

राजस्थान सरकार  
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई—डी.पी.आई.पी.

( तृतीय तल,बी ब्लॉक, योजना भवन सी-स्कीम जयपुर, दुरभाष-2226175 फ़ैक्स.- 5104014)

प. 1(66)ग्रा.वि./डीपीआईपी/पीए/2003

जयपुर, दिनांक 25.03.2006

जिला परियोजना प्रबन्धक,  
जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई,  
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना,  
बारां / चूरु / दौसा / झालावाड़ / धौलपुर / राजसमन्द / टोंक ।

विषय : श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डीपीआईपी की कार्य मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 26—ग के (ब) बिन्दु के अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था की स्थिति बाबत एक उपस्थिति प्रतिवेदन डी.आर.डी.ए पद्धति के अनुसार रखते हुए कार्य किया जाना है। इस पद्धति के अनुसार श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिवेदन के लिये आप द्वारा मस्ट्रोल जारी किये जाते रहें हैं ।

समान रूचि समूह द्वारा जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से मस्ट्रोल प्राप्त करने में काफी समय लगता है । इस कठिनाई को देखते हुए एवं डीपीआईपी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 27.02.06 को हुई सातवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना में जल ग्रहण विकास के दिशा—निर्देशों के अनुसार जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा श्रमिकों को संलग्न प्रारूप के अनुसार दैनिक उपस्थिति रजिस्टर 3 माह की अवधि के लिये प्रति पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके जारी किया जावेगा । संलग्न प्रपत्र के अनुसार अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति रजिस्टर में इन्द्राज की जावेगी। कार्य के अनुसार ही इस रजिस्टर में भुगतान का भी इन्द्राज किया जावेगा ।

संलग्न: श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप ।

(अभय कुमार)  
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पं रा., जयपुर ।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि, जयपुर ।

महाप्रबन्धक परियोजना आंकलन